मैसर्स बैतोली सोप स्टोन माइनिंग ग्राम बैतोली तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 31.07.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स बैतोली सोप स्टोन माइनिंग ग्राम बैतोली तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल 2.980 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के दिनांक 27.02.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 29.03.2024 को जन सुनवाई प्रस्तावित की गयी थी, किन्तु लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 की घोषणा के फलस्वरूप लोक सुनवाई स्थगित की गयी थी। पुनः राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुन्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 19.06.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी है। तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 31.07.2024 को निकट परियोजना स्थल ग्राम बैतोली तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्निजैंस रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री संदीप चौधरी द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक श्री कुन्दन सिंह लटवाल एव श्री राहुल दफौटी हैं। परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम बैतोली तथा खनन क्षेत्रफल 2.980 है0 है। परियोजना की खनन विधि सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट पद्धति होगी। सोप स्टोन माइनिंग परियोजना से 40 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करते हुए खनन की प्रस्तावित मात्रा का उल्लेख किया गया। प्रस्तावित खनन परिक्षेत्र में 01 अक्टूबर से दिसम्बर,2023 तक पोस्ट मानूसन के मौसम के दौरान 08 स्थानों का परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गई है

क्रमशः–2

निगरानी कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर समस्त मानक निर्धारित सीमा के भीतर पाये गये। सतही जल विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नमूनों के अधिकांश पैरामीटर सीपीसीबी के श्रेणी बी मानकों के अनुपालन करते हैं। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत से एकत्र किए गए नमूने इंगित करते हैं कि मिट्टी रेतीली प्रकार की है और पीएच मान से पता चलता है कि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रत्याशित प्रभाव और शमन व उपायों के संबंध में अवगत कराते हुए 3 भूजल नमूनों और 2 सतही पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि सभी स्त्रोतों से भूजल पीने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहता है क्योंकि सभी घटक भारतीय मानक द्वारा प्रख्याति पेयजल मानकों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। जल विश्लेषण नमूनों के अधिकांश पैरामीटर सीपीसीबी के श्रेणी बी मानकों का अनुपालन करते हैं। प्रस्तावित खनन क्षेत्र से एकत्र किये गये नमूने इंगित करते हैं कि मिट्टी रेतीली प्रकार की है। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। खनन क्षेत्र किसी भी निवास स्थान को कवर नहीं करता है। इसलिए खनन गतिविधि में मानव निपटान का कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई भी सार्वजनिक भवन, स्थान, स्मारक आदि पट्टे क्षेत्र के भीतर या आसपास मौजूद नहीं है। खनन कार्य किसी भी गांव को परेशान नहीं करेगा और न ही पुनर्वास करेगा। इस प्रकार कोई प्रतिकूल प्रभाव अनुमानित नहीं है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी मैन पावर की आवश्यकता होने पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी। खनन गतिविधियों और मशीनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अस्थाई धूल, कण जो प्रमुख प्रदूषक है के दृष्टिगत ट्रकों और टिपरों का अच्छी तरह से रख–रखाव किया जायेगा। खनन के समय श्रमिकों की सुरक्ष को ध्यान रखते हुए डस्ट मास्क, ईयर प्लग आदि का उपयोग कराया आज जायेगा। हॉल रोड और लोडिंग स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, डंप आदि के आसपास हरित पट्टी/पौधारोपण किया जायेगा। खनन कार्य करते समय शोर स्तर की तुलना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जाएगी जिस सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। परियोजना से सतही जल विज्ञान और भूजल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन से नदी के पानी, भूजल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलाशय के पानी को कोई क्षति नहीं होगी। प्रतिवर्ष 300 पौधों की दर से आस–पास के गांवों और कनेक्टिंग सड़कों में 05 वर्षों तक 1500 स्थानीय प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण प्रबंधन योजना अन्तर्गत पूंजीगत लागत 5.40 (लाख में) तथा आवर्ती लागत रू0– 4.60 (लाख में) का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार सीईआर लागत के अन्तर्गत ग्राम बैतोली अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु धनराशि रू0– 0.90 (लाख में) का प्राविधान किया गया है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः–3

परियोजना के स्थापित हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार, रॉयल्टी करो और कर्तव्यों के अनुसार राज्य को राजस्व में वृद्धि तथा बेहतर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि प्राप्त होगी। खनन उपरान्त खेतों को पूर्व की भांति खेती किये जाने हेतु तैयार कर काश्तकारों को सुपुर्द किया जायेगा। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री जगदीश तिवारी ग्राम खोलाखेत, बैतोली तहसील व जनपद बागेश्वर– सर्वप्रथम श्री तिवारी द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी एवं अन्य उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया कि क्षेत्र में पूर्व से खनन कार्य होता आ रहा है। खनन के क्षेत्र में स्थित पेयजल लाईन व रास्ते ध्वस्त हो जाते हैं जिसका संज्ञान पट्टाधारक द्वारा लम्बे समय बाद लिया जा रहा है जो उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की हमेशा समस्या रहती है। परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी कि पेयजल व रास्तों को संरक्षित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में खनन कार्य करेंगे।
2. श्री मनोज तिवारी ग्राम खोलाखेत तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री मनोज तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि वह प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत के भूमिधरी हैं। खनन परियोजना के स्थापित होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। परियोजना के स्थापित होने से हम सहमत हैं।
3. श्री दिनेश तिवारी निवासी ग्राम खोलाखेत तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री दिनेश तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि वह प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत के भूमिधरी हैं। खनन परियोजना के स्थापित होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। परियोजना के स्थापित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु क्षेत्र में रास्ते तथा गांव की पेयजल लाईन समय पर ठीक होनी चाहिए। खनन कार्य से हमें आपत्ति नहीं है।
4. श्री भाष्कर तिवारी (सरपंच) ग्राम खोलाखेत तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि हमें इस खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है तथा स्थानीय लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार मिलना चाहिए तथा क्षेत्र में होने वाले नुकसान के संबंध में पट्टाधारक को बार–बार अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा खनन कार्य माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना चाहिए।
5. श्री हेम तिवारी ग्राम खोलाखेत तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सीईआर लागत में जिन 02 सोलर लाईटों हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है वह धनराशि धरातल पर ही खर्च होनी चाहिए। जनपद का रीमा क्षेत्र जो सोप स्टोन खनन में अग्रणी है क्षेत्र में सोप स्टोन के पट्टाधारकों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत 100 सौलर लाईटें लगायी गयी हैं। प्रस्तावक यदि नियमानुसार जनभावनाओं के दृष्टिगत कार्य करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमशः–4

6. श्री नवीन राम ग्राम बैतोली तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री नवीन राम द्वारा बताया गया कि जब रास्ते टूट जाते हैं तो कोई देखने नहीं आता है तथा हमें कोई फायदा नहीं होता है व अवगत कराया गया कि क्षेत्र में पूर्व में खनन से बने गढढे भरे नहीं हैं। हम गांव के ऊपरी भाग में रहते हैं हमारे घरों को कोई नुकसान होता है तो हम कोर्ट जाने को तैयार हैं और कहा गया कि किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।
7. श्री कुन्दन सिंह लटवाल (प्रस्तावक)— श्री लटवाल द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्र में खनन कार्य से पूर्व वह पेयजल लाईनें व रास्तों की मरम्मत कार्य करेंगे और खनन कार्य ग्रामीणों को विश्वास में लेकर किया जायेगा। खनन कार्य से किसी को भी क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा जानना चाहा कि उपस्थित लोगों को खनन क्षेत्र में रास्ते तथा पेयजल लाईनों के संबंध में क्या राय है उपस्थित लोगों द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पानी की लाईन न होने के संबंध में अवगत कराया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा सीएसआर मद को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा गया।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए आयोजित जनसुनवाई का समापन किया गया।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉं प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

श्री कुन्दन लटवाल एवं श्री राहुल दफौटी ग्राम-मंडलसेरा, तहसील एवं जिला-बागेश्वर द्वारा प्रस्तावित मै० बैतौली सोपस्टोन माइनिंग (क्षे० 2.980है०) हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण –

सुनवाई स्थल – निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि – 11:00 बजे, दि० 31/07/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन. एस. नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र०नि० बोर्ड	
3	[illegible]	PA to ADM	
4.	योगेश सिंह रावत	अनु० सहायक उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी	
5.	Sandeep Kumar	RQP	
6.	V.P.S. Mehta	RSI	
7.	Saurabh Bajpai	Haldwani	Saurabh
8.	Kundan Latwal	Bageshwar	
9.	Akshay Rana	Dehradun	Akshay Rana
10.	आनन्द तिवारी	खोलाखेत (बैतोली)	
11.	मनोज तिवारी	" "	मनोज तिवारी
12.	बसन्त बल्लभ तिवारी	खोलाखेत	बसन्त
13.	हेम चन्द्र	" खोलाखेत	हेमचन्द्र
14.	रामेश्वर तिवारी	खोलाखेत	
15.	गोकुलानन्द तिवारी (सरपंच)	खोलाखेत	
16.	हेम तिवारी	बैतोली	
17.	सन्तोष दफौटी (प्रधान)	नापल	Santosh
18.	भावना तिवारी सदस्य	खोलाखेत	भावना
19.	हरीश राम	बैतोली	हरीश राम
20.	Dinesh Chandra	खोलाखेत	
21.	जानकी बल्लभ	खोलाखेत	
22.	कौस्तुभानन्द तिवारी	खोलाखेत (बैतोली)	
23.	दवीश चन्द्र	बैतोली	
24.	महेश चन्द्र	ग्राम पो० मण्डलसेरा बागेश्वर	महेश चन्द्र
25.	उमेश राम	बैतोली	उमेश
26.	नवीन राम	ग्राम-बैतोली	नवीन राम

जन सुनवाई
खनन परियोजना : मैसर्स बैतोली सोप स्टोन माइनिंग
ग्राम-बैतोली, तहसील व जनपद- बागेश्वर
(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल- 2.980 है.)
सुनवाई स्थल- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 31/07/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः-
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक- श्री कुन्दन लटवाल एवं श्री राहुल दफौटी
पर्यावरण सलाहकार- मै0 कॉग्निजेंस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
सुइट बी, ब्लाक एच 61 सेक्टर 63 नोएडा, उत्तर प्रदेश

जन सुनवाई
खनन परियोजना : मैसर्स बैतोली सोप स्टोन माइनिंग
ग्राम-बैतोली, तहसील व जनपद- बागेश्वर
(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल- 2.980 है.)
सुनवाई स्थल- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 31/07/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः-
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
UKPCB

जन सुनवाई
खनन परियोजना
ग्राम-बैतोली, तहसील व जनपद- बागेश्वर
(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल- 2.980 है.)
सुनवाई स्थल- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 31/07/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः-
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139